सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 206 / 2017 दायर दिनाँक 19.07.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. जोराराम पुत्र हेमाराम, जाति—जाट, निवासी—धनकोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. पुसाराम पुत्र मोहनराम, 2. केसाराम पुत्र मोहनराम, 3. नारायणराम पुत्र मोहनराम, 4. जोधाराम पुत्र मोहनराम, 5. कानाराम पुत्र मोहनराम, 6. भींवाराम पुत्र मोहनराम, समस्त,जाति—जाट, निवासी—धनकोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 7. मैनेजर भूमि विकास बैंक, शाखा—डीडवाना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 8. मैनेजर एस.बी.आई. बैंक शाखा—धनकोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 9. मैनेजर राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, शाखा—धनकोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. पक्षकारान् उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 24.05.2018

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, शरहद धनकोली में खसरा नम्बर 285 रकबा 0.12 बीघा व खसरा नम्बर 287 रकबा 53.07 बीघा की खातेदारी सम्वत् 2006 में जागीर के समय मोटा

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 206/2017
दायर दिनाँक 19.07.2017, निर्णय दिनाँक 24.05.2018
जोराराम, वगैरा बनाम् पुसाराम, वगैरा।

वल्द गुल्ला जाति जाट निवासी धनकोली के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। नकल खतौनी सम्वत् 2006 पेश है।

उक्त जमीन में से खसरा नम्बर 285 रकबा 0.12 बीघा जमीन सैटलमेन्ट सम्वत् 2017 से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 के पूर्वजों के नाम गलती से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी क्योंकि प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 का खेत वादी के खेत के चिपता ही उत्तर–पश्चिम में स्थित था। खसरा नम्बर 285 व 287 के बीच में से एक कट्टाणी रास्ता बहता था जिसमें वादी के खेत के उक्त दो खसरा नम्बर 285 व 287 बने हुए थे। उक्त सैटलमेन्ट से पुराने खसरा नम्बर 285 के 457 व 287 के 459 नये खसरान् बने हैं।

प्रार्थना वादी है कि,

मोजा धनकोली में स्थित खेत खसरा नम्बर 457 रकबा 0.12 बीघा भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 के नाम की खारिज कर, वादी के नाम खातेदारी घोषित की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02, 06 ता 09 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 03 ता 05 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री डालूराम ने तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री रूपाराम महला ने की। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम धनकोली सम्वत् 2072–2075 की प्रमाणित प्रतिलिपि, मिलान क्षेत्रफल मौजा धनकोली की प्रमाणित प्रतिलिपि, खतौनी सम्वत् 2006 की प्रमाणित प्रतिलिपि, मिलान क्षेत्रफल ग्राम धनकोली, जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम धनकोली सम्वत् 2012–2015 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि व आंशिक सर्वे शीट ग्राम धनकोली की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश की है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना।

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 206 / 2017
दायर दिनाँक 19.07.2017, निर्णय दिनाँक 24.05.2018
जोराराम, वगैरा बनाम् पुराराम, वगैरा।

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–धनकोली में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित। पक्षकारान् को सुना गया। वादी दावानुसार दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। प्रतिवादीगण पूर्व में अपना राजीनामा पेश कर चुके हैं तथा दावानुसार, दावा डिक्री किया जाने में अपनी सहमति जाहिर करते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व साक्ष्य का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

मजमे आम में प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। मजमें आम में सामने आया कि, दावानुसार दावा डिक्री किया जाना ठीक है।

वाद का किसी पक्षकार ने खण्डन नहीं किया है तथा राजीनामा पेश हो चुका है, ऐसी स्थिति में वादी वादी साबित होता है एवं वादी के हक मे वाद डिक्री किया जाना न्यायालय के मत में न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

–:: आदेश ::–

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद ग्राम धनकोली में खेत खसरा नम्बर 457 रकबा 0.12 बीघा भूमि की वर्तमान खातेदारी खारिज कर, इसके स्थान पर, वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 का नाम हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–धनकोली

निर्णय, आज दिनाँक **24.05.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–धनकोली

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:— सहायक कलक्टर, डीडवाना
—:: न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::—
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 206/2017 दायर दिनाँक 19.07.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. जोराराम पुत्र हेमाराम, जाति—जाट, निवासी—धनकोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. पुसाराम पुत्र मोहनराम, 2. केसाराम पुत्र मोहनराम, 3. नारायणराम पुत्र मोहनराम, 4. जोधाराम पुत्र मोहनराम, 5. कानाराम पुत्र मोहनराम, 6. भींवाराम पुत्र मोहनराम, समस्त,जाति—जाट, निवासी—धनकोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 7. मैनेजर भूमि विकास बैंक, शाखा—डीडवाना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 8. मैनेजर एस.बी.आई. बैंक शाखा—धनकोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 9. मैनेजर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा—धनकोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 24.05.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित पक्षकारान्** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद ग्राम धनकोली में खेत खसरा नम्बर 457 रकबा 0.12 बीघा भूमि की वर्तमान खातेदारी खारिज कर, इसके स्थान पर, वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 का नाम हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.............
.......–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–..........
आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के
आज की तारीख **24.05.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–धनकोली

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–धनकोली

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

क्रमांकः–206–2017/रीडर/2018/ 553 दिनाँक 24.05.2018

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. जोराराम पुत्र हेमाराम, जाति–जाट, निवासी–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम**	1. पुसाराम पुत्र मोहनराम, जाति–जाट, निवासी–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–धनकोली

Scanned by CamScanner